


कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

विज्ञप्ति

नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा राजीव आवास योजना के अन्तर्गत बुध विहार एवं मालवीय नगर मे निर्मित आवास गृहों के आवंटन हेतु लॉटरी द्वारा चयनित लाभार्थियों को आवंटन पत्र जारी करने हेतु दस्तावेज पूर्ति के लिए पंजीकृत डाक द्वारा शिविर लगाकर तथा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर प्रेरित एवं सूचित किया जा चुका है लेकिन कुछ चयनित लाभार्थियों द्वारा वांछित दस्तावेज पूर्ति एवं निर्धारित राशि जमा नहीं कराने के कारण आवंटन एवं कब्जा पत्र जारी नहीं किया गया है। उन्हें राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में एक अन्तिम अवसर देते हुए सूचित किया जाता है कि चयनित लाभार्थी आवास आवंटन हेतु आवश्यक दस्तावेज दिनांक 10.02.2020 तक आवश्यक रूप से न्यास कार्यालय में जमा कराएं अन्यथा चयनित आवास निरस्त कर अन्य पात्र लाभार्थियों को आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी कार्य दिवसो को न्यास कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है। न्यास द्वारा उक्त आवासों हेतु आरक्षित श्रेणी के लिये चालू वर्ष की लीज राशि सहित राशि रूपये 45,276 तथा अनारक्षित वर्ग हेतु राशि रूपये 53,976 जमा कराने पर कब्जा पत्र जारी किया जा रहा है।


सचिव
नगर विकास न्यास, अलवर